<u>न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.</u> (आप.प्रक.क. :— 1453 ∕ 2015)

(संस्थित दिनांक :- 31 / 12 / 15)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :— मौ जिला–भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन ।

// विरूद्ध //

- 01. रामवरन सिंह पुत्र मजबूत सिंह यादव उम्र 36 वर्ष
- 02. महेश यादव पुत्र मजबूत सिंह यादव उम्र 31 वर्ष
- 03. मजबूत सिंह पुत्र बारेलाल यादव उम्र 61 वर्ष निवासीगण :— ग्राम मघन, थाना—मौ, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)

.....अभुयक्तगण।

<u>// निर्णय//</u> (आज दिनांक : 07/12/2016 को घोषित)

- 01. अभियुक्तगण रामवरन, महेश यादव एवं मजबूत सिंह पर भा.द.सं. की धारा 294, 323 एवं 324/34 के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :— 29/07/2015 की रात्रि लगभग 08:30 बजे कारस देव बाबा थान के पास ग्राम मघन में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी वीरेन्द्र सिंह को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी वीरेन्द्र की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्त ने लात—घूसों एवं किसी धारदार आयुध से फरियादी वीरेन्द्र की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की।
- 02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य हैं।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 29/07/2015 की रात्रि लगभग 08:30 बजे कारस देव बाबा थान के पास ग्राम मघन में, आरोपीगण द्वारा फिरयादी वीरेन्द्र से गाली—गलौच करने एवं उसकी लात—घूसों से मारपीट कर चोट पहुँचाने की मौखिक रिपोर्ट फिरयादी वीरेन्द्र द्वारा उसी दिनांक थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना लेखबद्ध की गई। फिरयादी के मेडीकल रिपोर्ट में किसी धारदार आयुध से चोटे होने का उल्लेख आने पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 293/2015 अन्तर्गत धारा 323, 324, 504 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध

की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी ररामवरन से एक कुल्हाड़ी जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। फरियादी वीरेन्द्र सिंह, साक्षी कोमल सिंह एवं बलवीर सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323 एवं 324/34 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी वीरेन्द्र के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294 एवं 323 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. कया आरोपीगण ने रामवरन, महेश यादव एवं मजबूत सिंह ने दिनांक :— 29/07/2015 की रात्रि लगभग 08:30 बजे कारस देव बाबा थान के पास ग्राम मघन में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी वीरेन्द्र की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्त ने किसी धारदार आयुध से फरियादी वीरेन्द्र की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?
 - 02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

फरियादी वीरेन्द्र सिंह अ.सा.०१ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण मजबूत सिंह, रामवरन एवं महेश को जानता है, वह उसके ग्राम मध ान के रहने वाले है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 15/11/2016 से लगभग एक – सवा साल पूर्व की होकर शाम के आठ-साढ़े आठ बजे की कारसदेव बाबा के थान के पास की ग्राम मघन की है। साक्षी आगे कहता है कि उस समय उसका आरोपीगण से मुँहवाद हो गया था, जिसमें आरोपीगण ने उससे गाली-गलौच कर उसकी लात-घुसों से मारपीट कर दी थी, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना मौ में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने ६ ाटनास्थल पर आकर नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी वीरेन्द्र सिंह अ.सा. 01 ने आरोपीगण द्वारा उसे किसी धारदार आयुध से मारपीट कर चोट पहुँचाने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी वीरेन्द्र अ.सा.०१ की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई, पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।

- आरोपीगण एवं फरियादी / आहत वीरेन्द्र सिंह के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख पर है और फरियादी वीरेन्द्र सिंह अ.सा.०१ के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।
- अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपीगण रामवरन, महेश यादव एवं मजबूत सिंह ने दिनांक :--29 / 07 / 2015 की रात्रि लगभग 08:30 बजे कारस देव बाबा थान के पास ग्राम मधन में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी वीरेन्द्र की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्तगण ने किसी धारदार आयुध से फरियादी वीरेन्द्र की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की।
- अभियोजन आरोपीगण रामवरन, महेश यादव एवं मजबूत सिंह के विरूद्ध धारा 324 / 34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 / 34 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- प्रकरण में आरोपी रामवरन से जब्तशुदा धारदार कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद